बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

/पटना, दिनांक 04/05/2018

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : नि०प्रा०/नि० 6-01/2018...380.../बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 3 एवं प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब की निर्वाचन नियमावली के नियम-17 एवं 23 के अधीन राज्य निर्वाचन प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3, उत्तर बिहार सिंह सभा/ सोसाईटीज निर्वाचन क्षेत्र तथा दक्षिण बिहार सिंह सभा/ सोसाईटीज निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य पद के निर्वाचन के लिए निम्नांकित तालिका के कॉलम-2 में यथा निर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों को निर्धारित करता है:-

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्धारित प्रतीक
1	2
निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. पुल 2. बैगन 3. ब्रश 4. चिमनी 5. कैमरा 6. मोमबत्तियाँ 7.कार 8. कैरम बोर्ड 9. गाजर 10. नेकटाई 11. रोड रौलर 12. हारमोनियम
निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2 से लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. लिफाफा 2. हैंगर 3. आइसक्रीम 4. अंगूठी 5. कलम और दवात 6. वायुयान 7. अलमीरा 8. कुल्हाड़ी 9. गुब्बारा 10. केला 11. टेलीविजन 12. टॉफी
निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 से लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. गुड़िया 2. चापाकल 3. कुर्सी 4. टार्च 5. ट्रैक्टर 6. टोकरी 7. बल्ला 8. कांटा 9. चूड़ियाँ 10. छत का पंखा 11. नारियल 12. कंघा
उत्तर बिहार सिंह सभा/ सोसाईटीज निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. मोटरसाइकिल 2. नल 3. बल्व 4. छड़ी 5. कोट 6. सीढ़ी 7. चारपाई 8. कप और प्लेट 9. डोली 10. फ्राक 11. फ्राइंग पैन 12. गैस सिलेण्डर
दक्षिण बिहार सिंह सभा/ सोसाईटीज निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. बिजली का खंभा 2. पतंग 3. लेडी पर्स 4. लेटर बाक्स 5. ताला और चाबी 6. मक्का 7. प्रेशर कुकर 8. रेल का इंजन 9. आरी 10. कैंची 11. सिलाई की मशीन 12. डीजल पम्प

इसके अतिरिक्त निम्नांकित निर्वाचन प्रतीकों को सुरक्षित रूप में रखा जाएगा, जिसका प्रयोग विशेष परिस्थिति में, अर्थात यदि उपर्युक्त पाँचों अथवा किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित प्रतीकों से अधिक हो जाए तो, किया जाएगा:-

सुरक्षित प्रतीकों की सूची 1. स्लेट 2. चम्मच 3. स्टूल 4. मेज 5. टेबुल लैम्प 6. गैस का चूल्हा 7. कांच का गिलास 8. जग 9. टोपी 10. वायलीन 11. स्टोव 12. बल्लेबाज 13. डबल रोटी 14. ब्रीफकेस 15. केक

2. उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने के तुरंत बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त पाँचों निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र-10 (प्राधिकार के पत्र संख्या 378 दिनांक 03.05.2018 का परिशिष्ट-14) में तैयार की जाएगी। उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्ण क्रमानुसार नाम, पता सहित अन्तर्विष्ट होगा, परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का नाम एक ही हो, तो नामांकन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्या अनुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिये उनके नाम के समक्ष कोष्ठक में क्रमशः (1)(2)(3)............आदि अंकित किया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना प्रपत्र-11 (प्राधिकार के पत्र संख्या 378 दिनांक 03.05.2018 का परिशिष्ट-15) में दी जायेगी। तत्पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी कॉलम-2 में निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों में से प्रपत्र 10 में से अभ्यर्थियों के नामों के क्रमांक के अनुसार प्रतीकों को क्रमवार आवंटित करेंगे, अर्थात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक-1 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची का क्रमांक-1, क्रमांक-2 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक-2, क्रमांक-3 पर के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक-3 और, इसी तरह क्रमशः आवंटित करेंगे एवं तत्पश्चात् नियमानुकूल रूप से प्रपत्र-10 का प्रकाशन कर दिया जायेगा।

3. यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कॉलम-2 में अंकित कुल प्रतीकों की संख्या से अधिक हो जाय, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उक्त 15 सुरक्षित प्रतीकों में से इन प्रतीकों को क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षित प्रतीकों का उपयोग किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न होने पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सुरक्षित प्रतीकों की सूची में से हर बार क्रमांक-1 से आवंटन शुरू किया जायेगा। उदाहरण के लिए, अगर निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 से 16 उम्मीदवार मैदान में हों, तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 के लिए निर्धारित 12 प्रतीकों का नियमानुसार उपयोग करने के पश्चात् शेष चार उम्मीवारों को सुरक्षित प्रतीकों की सूची में से क्रम संख्या-1 से क्रम संख्या-4 तक उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का क्रमानुसार आवंटन किया जायेगा। उसी प्रकार, अगर निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 से 14 उम्मीदवार मैदान में हों, तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 के लिए निर्धारित 12 प्रतीकों का नियमानुसार उपयोग करने के पश्चात् शेष दो उम्मीदवारों को सुरक्षित प्रतीकों की सूची में से क्रमानुसार क्रम संख्या-1 एवं क्रम संख्या-2 में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा।

4. निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र-12 (प्राधिकार के पत्र संख्या 378 दिनांक 03.05.2018 का परिशिष्ट-16) में सूचना दी जायेगी कि उन्हें अमुक प्रतीत आवंटित किया गया है तथा उसमें आवंटित प्रतीक की अनुकृति भी संलग्न की जायेगी।

5. इसके साथ उपर्युक्त पाँच निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य पद के लिए आवंटित निर्वाचन प्रतीकों एवं विशेष परिस्थिति में उपयोग में लाने हेतु सुरक्षित प्रतीकों की अनुकृति संलग्न है।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 380 /पटना, दिनांक 04/05/2018

प्रतिलिपि :-ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति एवं सी॰ डी॰ के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 380 /पटना, दिनांक 04/05/2018

प्रतिलिपि :-जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, प्रबंधक कमिटी, श्री तख्त हरिमंदिरजी, पटना साहेब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.5.18

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।

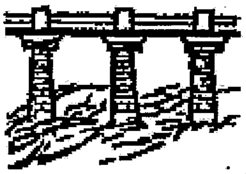
1. पुल

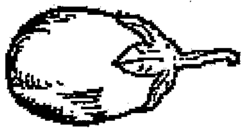
2. बैंगन

3. ब्रश

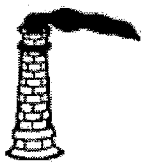
4. चिमनी

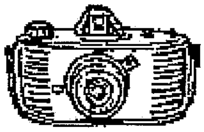
5. कैमरा

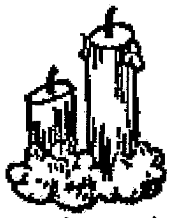
6. मोमबतीयाँ

7. कार

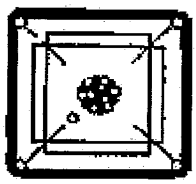
8. कैरम बोर्ड

9. गाजर

10. नेकटाई

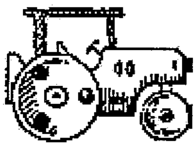
11. रोड रौलर

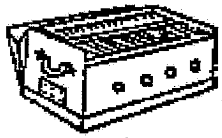
12. हारमोनियम

निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2 से लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।

1. लिफाफा

2. हैंगर

3. आइसक्रीम

4. अंगुठी

5. कलम और दवात

6. वायुयान

7. अलमीरा

8. कुल्हाड़ी

9. गुब्बारा

10. केला

11. टेलीविजन

12. टॉफी

निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।

1. गुड़िया

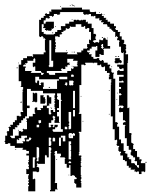

2. चापाकल

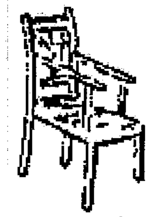

3. कुर्सी

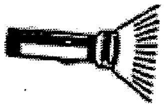

4. टार्च

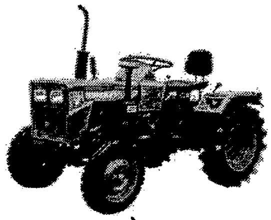

5. ट्रैक्टर

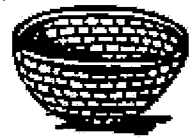

6. टोकरी

7. बल्ला

8. कांटा

9. चुड़ियां

10. छत का पंखा

11. नारियल

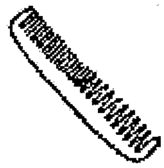

12. कंघा

उत्तर बिहार सिंह सभा/ सोसाईटीज निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।

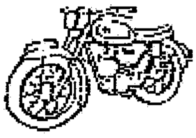

1. मोटरसाइकिल

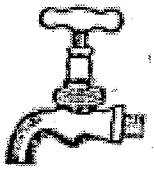

2. नल

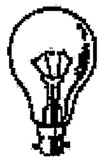

3. बल्ब

4. छड़ी

5. कोट

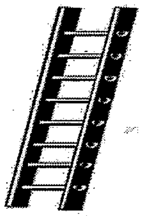

6. सीढ़ी

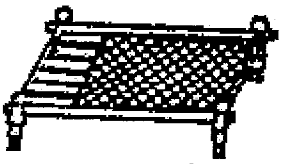

7. चारपाई

8. कप और प्लेट

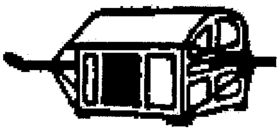

9. डोली

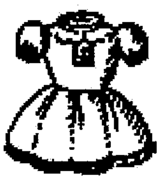

10. फ्रॉक

11. फ्राईग पैन

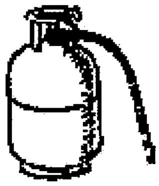

12. गैस सिलेंडर

दक्षिण बिहार सिंह सभा/ सोसाईटीज निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।

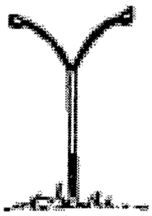
1. बिजली का खंभा

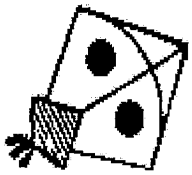
2. पतंग

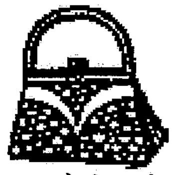
3. लेडी पर्स

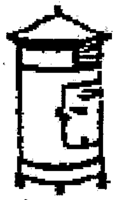
4. लेटर बॉक्स

5. ताला और चाबी

6. मक्का

7. प्रेशर कुकर

8. रेल का ईंजन

9. आरी

10. कैंची

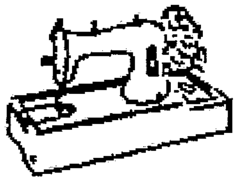
11. सिलाई मशीन

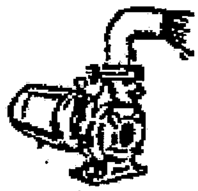
12. डीजल पम्प

सुरक्षित प्रतीकों की सूची

1. स्लेट

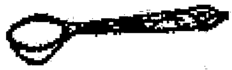

2. चम्मच

3. स्टूल

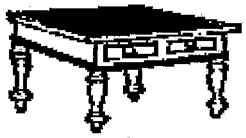

4. मेज

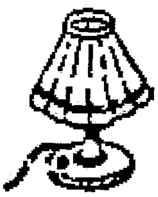

5. टेबुल लैम्प

6. गैस का चुल्हा

7. कांच का गिलास

8. जग

9. टोपी

10. वायलीन

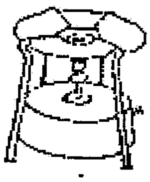

11. स्टोव

12. बल्लेबाज

13. डबल रोटी

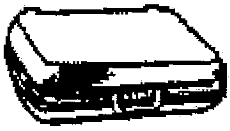

14. ब्रीफकेस

15. केक